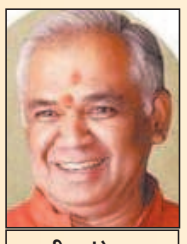

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

खत्री परिवार इस कला को जीवित रखने के लिए जिस जुनून और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, वह काबिले-तारीफ है. लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस कला को और अधिक समर्थन दें. आर्ट फंडिंग, डिज़ाइन इनोवेशन और डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई रणनीतियों को अपनाकर इसे और अधिक व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण दर्ज किये बिना प्रभावी जांच कैसे संभव?

संविधान में शक्तियों का पृथक्करण करते हुए तीनों संवैधानिक शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जिनके अधीन संघ व राज्य सरकारें कार्य करती हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होकर स्वतंत्र रूप से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं. यही हमारे संविधान का मूल चरित्र हैं. परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से स्वयं को ''संविधान से ऊपर'' कई बार स्थापित कर सिद्ध किया है.

तुलसीदास जी के शब्दों में ''प्रभुता पाहि जाहि मद नाहिं. उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती वि. केरल राज्य (1973 एआईआर 1461 एससी) के प्रकरण में यह निर्णीत किया कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून जो संविधान की मूल ढांचा, संरचना, भावना के विरुद्ध है, वह अवैध है. इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार संविधान की ''मूल भावना की अवधारणा'' का सिद्धांत प्रतिपादित कर अपने अनेकानेक निर्णयों में उल्लेख कर उनका पालन आज तक''निर्बाध'' रूप से किया जा रहा है. इस निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुप्रीम की (सर्वोच्चता) नाम के अनुरूप विधायिका के ऊपर स्थापित की, जो शायद संविधान की मूल भावना नहीं थी . शायद इसी सुप्रीमो के चलते वह जस्टिस वर्मा के विरुद्ध दायर याचिका को इस आधार पर अस्वीकार कर देता है कि वह प्रीमेच्योर (समय पूर्व) है. जबकि स्वयं मुख्य न्यायाधीश घटना को संज्ञान में लाने पर प्रथम दृष्टया जस्टिस वर्मा के विरुद्ध मामला दिखने पर ही तो उनका स्थानांतरण व न्यायिक अधिकार आगामी आदेश तक निलंबित कर देते हैं. इस प्रकार उपरोक्त दो विरोधाभासी कदम स्वयं उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में उठते हैं.

''राजा कोई गलती नहीं करता''. - यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बिना प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जांच व उसके परिणाम कितनी प्रभावी व महत्वपूर्ण होगी ? वह तो''पानी मे लठ मारने जैसी'' होगी. इन-हाउस जांच में तथ्यों के पाए जाने की स्थिति में भी प्रकरण को ''अंतिम अंजाम'' तक पहुंचाने के लिए प्राथमिकी भी दर्ज करनी होगी. प्रश्न जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी का नहीं है, बल्कि प्रश्न आग ''कैसे'' लगी? क्या कोई ''साजिश'' थी?, घटना स्थल पर अर्द्धजले नोट पाए गए, अर्द्धजले नोट ''किसके'' हैं? ''असली है या नकली?'' इन सब उलझे हुए ''तथ्यों व प्रश्नों की सत्यता'' सामने लाने के लिए स्वयं जस्टिस वर्मा के ही हित में यह था कि वे स्वयं एक प्राथमिक दर्ज कराते, ताकि उनका यह आरोप कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, की सही तरीके से विस्तृत जांच हो पाती. घटना की प्रकृति व व्यक्ति की पोजीशन (पद) को देखते हुए अभी तक इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई? जो सामान्यत: इस तरह के अन्य किसी भी प्रकरण में होती रही है? स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के मामले मे तो एक ही घटना पर पूर्व मे दर्ज एक एफआईआर के बाद भी तीन-तीन प्राथमिकी, एक साथ तीन तीन, अलग स्थानों पर बिना किसी प्राथमिक जॉच के दर्ज कर ली गई. यह

बड़ा गंभीर प्रश्न पुलिस प्रशासन, माननीय न्यायाधीश वर्मा तथा उच्चतम न्यायालय तीनों से ही है? वैसे तो ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय से उम्मीद की जाती थी, कि वह स्वयं सज्ञान लेकर कार्यपालिका (पुलिस प्रशासन) के विफल होने पर प्राथमिकी दर्ज करवाता. विपरीत इसके इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका ''प्रीमेच्योर है'' कहकर खारिज कर दी गई. इससे कहीं न कहीं ऐसा ''परशेप्शन'' बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायाधीश को बचाने का प्रयास कर रहा है, जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत-फुरंत की गई कार्रवाई से बने ''सकारात्मक'' परशेप्शन को ''विफल'' भी कर रहा है. उच्चतम न्यायालय के उक्त कदम लेटिन की कानूनी कहावत रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेरे'' (''राजा कभी कोई गलती नहीं करता'') रामचरित मानस की चौपाई''समरथ को नहिं दोष गुसाईं'' के अनायास बरबस ही याद दिला रहा हैं.

''पुलिस प्रशासन की असफलता, उदासीनता'' उक्त घटना में प्राथमिकी दर्ज न होने के लिए सिर्फ न्यायालय ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है. अभी तक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जो ऐसे मामलों में पुलिस का प्राथमिक दायित्व होता हैं. यहां हमारी पुलिस ''हकीम को अगाड़ी और घोड़े को पिछाड़ी होने से बचती'' दिखाई दी. वस्तुत: कुछ मामलों में शिकायत होने पर जांच कर साक्ष्य एकत्रित करने की आवश्यकता होने पर ही प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व प्राथमिक जांच की जाकर तदनुसार साक्ष्य मिलने के उपरांत ही तदनुसार प्राथमिकी कार्यवाही दर्ज की जाती है. परंतु जहां अपराध ''प्रथम दृष्टिया'' घटित होता है, वहां आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जॉच प्रारंभ की जाती है. जस्टिस वर्मा के मामले में जब स्वयं उच्चतम न्यायालय ने उनका स्थानांतरण (यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण का आग के प्रकरण से कोई संबंध न होना बतलाया) किया व उनके न्यायिक अधिकार तक वापस लिये गये, जो उनके विरूध्द प्रथम दृष्टया अपराध घटित होने के लिए ''पर्याप्त साक्ष्य'' हैं. प्रस्तुत प्रकरण में एक नहीं कई प्रश्न मौजूद हैं. न्यायाधीश से लेकर न्यायापालिका की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न मौजूद है, प्राथमिकी दर्ज न होना और इस स्थिति के लिए उच्चतम न्यायालय का दीवार समान सुरक्षा भेद खड़ा कर देना, उच्चतम न्यायालय की छवि को बेहतर नहीं करता है. गृहमंत्री का यह कथन स्वीकारें जाने योग्य नहीं है. यद्यपि माननीय न्यायाधीश को यह प्रतिरक्षा (इम्युनिटि) प्राप्त है कि सिर्फ सीजीआई की अनुमति से ही उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जा सकती है. उच्चतम न्यायालय ने याचिका अस्वीकार करते समय यह आदेश पारित नहीं किया है कि कोई एफआईआर दर्ज ही न की जाए, बल्कि उन्होंने याचिका पर इस आधार पर कार्यवाही करने से इनकार कर दिया कि ''इन-हाउस'' जांच पूरी हो जाने के बाद सभी रास्ते खुले हैं. प्राथमिक दर्ज होने का मतलब यहा सिर्फ जस्टिस वर्मा के खिलाफ का मामला नहीं है, बल्कि घटित आग की घटना को लेकर है, जिसमे कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.

''जज के घर लगी आग की घटना को कॉलेजियम के ''गुण दोष'' से जोड़ने की खतरनाक कोशिश''- प्राथमिक दर्ज करने की याचिका को अस्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उच्चतम न्यायालय द्वारा घटना की जानकारी के उपरांत की गई तत्काल कार्रवाई पर न केवल पानी फेर दिया है, बल्कि ''कॉलेजियम'' जिसका जस्टिस वर्मा के घर पर घटित घटना से कोई लेना-देना नहीं है, के औचित्य व गुण दोष पर बहस चलाने का मौका कुछ स्वार्थी तत्वों''जिनसे पूछो हंसिया रे तू टेढा काहे, तो कहेंगे अपने मतलब से'' को अवश्य मिल गया हैं. ''कॉलेजियम'' का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है . वर्ष 1981 में उच्चतम न्यायालय ने एसपी गुप्ता के मामले में यह निर्णय दिया था की न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में लिखी गई व्यवस्था के अनुसार ही होगी. वर्ष 1993 में इसी उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय फुल बेंच ने अपने 1981 के निर्णय को पलट कर पहली बार तीन सदस्यीय ''कॉलेजियम'' नामक एक नई संस्था का निर्माण कर खुद को ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देकर अपने को ''सुप्रीम'' बना दिया.

बाग प्रिंट: एक विरासत, एक पहचान

खत्री परिवार इस कला को जीवित रखने के लिए जिस जुनून और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, वह काबिले-तारीफ है. लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस कला को और अधिक समर्थन दें. आर्ट फंडिंग, डिज़ाइन इनोवेशन और डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई रणनीतियों को अपनाकर इसे और अधिक व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता है.

ताहिर अली

मध्यप्रदेश के धार जिले का छोटा सा कस्बा बाग केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक समृद्ध हस्तकला का केंद्र है. यहां विकसित हुई बाग प्रिंट की कला सदियों पुरानी विरासत को जीवित रखते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है. यह हस्तशिल्प कला प्राकृतिक रंगों और हाथ से तराशे गए लकड़ी के ब्लॉकों के माध्यम से कपड़ों पर एक अनोखी छाप छोड़ती है. इस कला को पुनर्जीवित करने और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मोहम्मद यूसुफ खत्री और उनका परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उनके अथक प्रयासों ने बाग प्रिंट को भारत और वैश्विक मंच में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है.

बाग प्रिंट- ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्जागरण- बाग प्रिंट की परंपरा सदियों पुरानी है और यह मूल रूप से खत्री समुदाय द्वारा संरक्षित और संवर्धित की गई. पहले यह कला केवल स्थानीय जरूरतों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीकों और मिलावट भरे रंगों के चलते इसकी पारंपरिक पहचान खतरे में पड़ने लगी. बाग प्रिंट को विलुप्त होने से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वर्गीय इस्माईल खत्री की रही. उन्होंने इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए परंपरागत तकनीकों में नवाचार किए और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा दिया. बाग प्रिंट के जनक स्वर्गीय इस्माईल खत्री द्वारा स्थापित इस कला की विरासत को आज भी उनके परिवार के सदस्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

बाग प्रिंट की इस समृद्ध परंपरा को जीवित रखने में मो. यूसुफ़ खत्री, स्व. मो. अब्दुल क़ादर खत्री, श्रीमती रशीदा बी खत्री, बिलाल खत्री, मो. रफ़ीक खत्री, उमर मो. फारूख खत्री, मो. काज़ीम खत्री, मो. आरिफ खत्री, अब्दुल करीम खत्री, गुलाम मो. खत्री, कासिम खत्री, अहमद खत्री और मोहम्मद अली खत्री जैसे शिल्पकारों का उल्लेखनीय योगदान है.यह परिवार कला, नवाचार और परंपरा के संतुलन को बनाए रखते हुए, बाग प्रिंट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

बाग प्रिंट को वैश्विक पहचान दिलाने में खत्री परिवार दशकों से दे रहा है योगदान- बाग प्रिंट को आज के दौर में जीवित रखने और आगे बढ़ाने में खत्री परिवार की कई पीढ़ियों का योगदान रहा है. उनके परिश्रम और समर्पण ने इस कला को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है. एक समय था जब बाग प्रिंट की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी थी. आधुनिकता के प्रभाव में हस्तशिल्प उद्योग सिकुड़ने लगा था, लेकिन स्वर्गीय इस्माईल खत्री ने इसे पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया. उन्होंने पारंपरिक तकनीकों को संरक्षित रखते हुए, नए प्रयोग किए, जिससे बाग प्रिंट को नया जीवन मिला.

स्वर्गीय अब्दुल कादर खत्री और मोहम्मद यूसुफ खत्री ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और इस कला को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया. उनके प्रयासों से यह प्रिंटिंग तकनीक सिर्फ धार जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत और विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई.

कलाकारों का दृष्टिकोण - बाग प्रिंट को संजोने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में खत्री परिवार की कई पीढ़ियों का योगदान रहा है. जब इस कला के संरक्षण और भविष्य को लेकर खत्री परिवार के सदस्यों और अन्य कलाकारों से चर्चा की गई, तो उनके विचारों से पता चला कि यह केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है.

मो. यूसुफ़ खत्री का कहना है कि - हमारे पिता ने हमें सिखाया कि कला केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है. स्वर्गीय अब्दुल कादर भाई ने इस सीख को आत्मसात किया और बाग प्रिंट को नई ऊंचाइयों तक ले गए. हमें गर्व है कि हमारी कला आज एक पहचान बन चुकी है. हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस कला को जीवित रखने में लगी हुई हैं.

श्री बिलाल खत्री (मो. यूसुफ़ खत्री के बेटे) कहते हैं-पिता जी का सपना था कि बाग प्रिंट को एक ब्रांड के रूप में पहचाना जाए. आज, जब हम इसे वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है. लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती, हमें इसे और आगे ले जाना है. श्रीमती रशीदा बी खत्री (स्वर्गीय श्री अब्दुल कादर खत्री की पत्नी) कहती हैं कि-हम सब इस कला के लिए एकजुट हैं. यह सिर्फ हमारा व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और पहचान है. जब हम किसी कपड़े पर हाथ से छपाई करते हैं, तो उसमें हमारी आत्मा झलकती है.

एक अमूल्य धरोहर की यात्रा- बाग प्रिंट केवल एक हस्तशिल्प नहीं, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और आत्म-अभिव्यक्ति का संगम है. यह एक ऐसी कला है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आधुनिकता की चुनौतियों के बावजूद अपनी मौलिकता बनाए रखने में सफल रही है. इस यात्रा को करीब से देखने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि बाग प्रिंट को जिंदा रखना केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है.

(लेखक सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जनसम्पर्क हैं)

भाजपा : लोकमंगल के संकल्प की एक अनुपम यात्रा

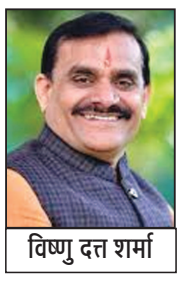

विष्णु दत्त शर्मा

स्वाधीनता के बाद 1951 में जब पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ बनाया था तब विरोधीउनकी हँसी उड़ाते थे कि ये क्या राजनीति करेंगे और जब 1980 में भाजपा की स्थापना हुई तो उनके ताने बढ़ते गये. उस दौर में अटल जी ने कहा था- अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. आज भाजपा सारी चुनौतियों को ध्वस्त करके भारतीय राजनीति की धुरी बन चुकी है, केंद्र सहित डेढ़ दर्जन राज्यों में सरकार है औरसबसे पुरानी पार्टी का दावा करने वाले पारिवारिक गिरोह न केवल सत्ता को तरस रहे हैं बल्कि अपनी तथाकथित पारंपरिक सीटें भी गँवा बैठे हैं.

अपनी 45 वीं वर्षगांठ मना रही भाजपा ने भारत की राजनीति में जो रास्ता चुना था, उस पर चलकरइसने सारी दुनिया को चकित किया है. पार्टी ने आज देश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराधीकरण, जातिवाद, तुष्टिकरण, आतंकवाद जैसे घावों से मुक्ति दिलाईहै. साथ ही उन सभी मुद्दों को हल करके राजनीति में नया अध्याय लिख चुकी है, जिनकापार्टी ने अपनी स्थापना के समय संकल्प लिया था. कश्मीर में धारा 370 की विदाई या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से लेकर वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव तक के सभी संकल्प भाजपा ने पूरे किये हैं. अपनी कथनी और करनी से आज यह सर्वाधिक विश्वसनीय पार्टी बनी है तथाजिसकोकरोड़ों लोगों ने अपनाकर विश्व का सर्वोच्च दल बनाया है.

आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि 1980 के दशक का कालखंड भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट था, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई. देश के राष्ट्रवादी समूहों ने एक सपना देखा था,

भाजपा स्थापना दिवस : 45 साल-बेमिसाल

आज स्थापना दिवस के प्रसंग में भाजपा के उत्कर्ष में अमूल्य योगदान देने वाले नेतृत्व की चर्चा जरूरी है . अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक पार्टी नेताओं ने संकल्प और साहस का नया इतिहास रचा है . भारत को परमाणु शक्ति बनाने से लेकर चंद्रयान-मंगलयान की यात्रा तक की उपलब्धि चुनावी राजनीति से अलग एक अदम्य साहस और देशभक्त नेतृत्व का प्रमाण है .2014 से लेकर 2025 तक गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपने सभी संकल्पों को एक-एक करके पूर्ण करते हुए भारत को सशक्तबनाया है .आज भारत के लगभग सभी तीर्थ केंद्र विकास का नया प्रतिमान गढ़ रहे हैं . निरंतर उपेक्षा का दंश झेल रहे हमारे प्राचीन आध्यात्मिक केंद्रोंका गौरव भी पुनर्स्थापित हुआ है .

जिसमें भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के विचार-बीज थे. आज वे बीज फलदार बृक्ष हो चुके हैं. 45 साल में वे सारे सपने साकार हो चुके हैं. राजनीतिक क्षेत्र में यह आश्चर्य का विषय हो गया है कि कैसे एक पार्टी 2 सीटोंसे अपनी यात्रा शुरू करते हुए सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज राजनीति के प्रतिमान बदल रही है. पार्टी विद डिफरेंस के नारे को मूर्त रूप देकर कार्यकर्ताओं ने सारी दुनिया को सियासत का अनूठा स्वरूप दिखाया है.

हालांकि भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका अतीत भारतीय जनसंघ से जुड़ा है. स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के बादबढ़ते अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय असुरक्षा, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक मुद्दों के गर्भ से जनसंघ का जन्म हुआ था. आपातकाल के बाद भाजपा की स्थापना सुदृढ़, सशक्त, समृद्धएवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु की गई थी, जिसमें पार्टी ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मूल्यों से प्रेरणा लेकर 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो. साथ ही संविधान सम्मत सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर सुनिश्चित हो.पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपना वैचारिक दर्शन मानते हुए भाजपा ने अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा के संकल्प पर चलते हुए 45 सालकी अनुपम यात्रा पूरी की है. इस यात्रा में दीनदयाल जी के अंत्योदय से लेकर मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसा अद्वितीय संकल्प पूर्ण हुए हैं.

या देवी सर्व भूतेषु सत्ता रूपेण संस्थिता...

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

सनातन संस्कृति में नारी को देवी और शक्ति के रूप में सदियों से पूजा जाता रहा है. यह क्रम सदियों से आज तक अनवरत चला आ रहा है. देवी पूजा की यह परंपरा प्रत्यक्ष रूप से प्रति वर्ष दो बार चैत्र एवं क्वांर माह में नवरात्र में की जाती है. इन नवरात्रों में देवी माँ के नो रूपों की पूजा -आराधना यथा शक्ति धन-धान्य से पूर्ण आस्था के साथ करते हैं. नवरात्रि का यह पर्व वस्तुत: देवी के रूप में नारी पूजा है. नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है. उसके बिना पूरी दुनिया ही अधूरी है. इसीलिए नारी को अर्धांगिनी भी कहा गया है.सनातन धर्म में अर्धनारीश्वर की भी परिकल्पना की गई है.

सनातन में विवाहित पुरूष की पूजा, आराधना तभी फलदायी मानी जाती है जब पत्नी भी साथ में मौजूद हो. हमारे यहां देवी की पूजा अलग अलग रूप में की जाती है. सरस्वती मां को शिक्षा-ज्ञान और प्रज्ञा की देवी,लक्ष्मी को धन की देवी, दुर्गा एवं उनके नो रूप देवी शक्ति के रूप में हैं. यह सभी देवियां नारी स्वरूपा ही होती हैं.सनातन में नारी को शिक्षा, ज्ञान प्रज्ञा की देवी माना गया है. जबकि अन्य मजहब के धार्मिक नेता अपने क़ौम की महिलाओं को पुरुषों से अक्ल में कमतर माना जाता है.

मनु स्मृति के अध्याय 3 श्लोक 56 में भी कहा गया है कि %यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता% अर्थात, जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं. नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया है और यह सर्वविदित है कि शक्ति सत्ता की ही पर्याय है. सत्ता में ही शक्ति का वास कहा गया है. दुर्गा सप्तशती के श्लोक में कहा गया है या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:. यानि नारी को शक्ति माना गया है, और शक्ति सत्ता का ही साकार रूप है. सत्ता सरकार में निहित होती है. शक्ति को अंग्रेजी में पॉवर कहा गया है. पॉवर का साकार रूप सरकार में दृष्टिगोचर होता है.

हम सब जानते हैं कि देवी पूजा में धन और धान्य का बड़ा महत्व है. धान्य से अभिप्राय अन्न से है. नवरात्रि पूजा में जवारे के रूप में अन्न बोया जाता है.देवी स्थापना में भी चौक में गेहूं, चावल रखे जाते हैं.

अब बात, सरकारों की करें तो देवी उपासक मोदी जी इस मर्म को अच्छे से समझ गए तभी तो वह पिछले करीब 5 सालों से गृहणियों को अन्न के रूप में गेंहू और चावल का मुफ्त वितरण कर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से धन और धान्य दोनों अर्पित कर रह हैं. अब बात रही धन अर्पित करने की तो सियासी दलों ने चुनाव में महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 1100 से 2500 रुपए की दक्षिणा दे कर उनका वरदान रूपी वोट जुगाड़ कर सत्ता को हथिया कर विभिन्न प्रान्तों में सत्ता सिंहासनों का वरण कर लिया. सियासी दलों को इसका लाभ आज हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल,उत्तराखंड आदि राज्यों में अपनी दलों की सरकारें बना कर मिल रहा है.

यह हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में वही सियासी पार्टियां सरकार बनाने में कामयाब होती हैं जिनके पास %बहुमत% होता है. यानि कि सरकार बनाने में मत के साथ साथ बहू की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यानी यहां भी %बहु% महत्वपूर्ण है. बहू शब्द भी स्त्रीलिंग है.जैसे रिश्तों में सास के साथ बहू की जोड़ी का महत्व है. वैसे ही मत के साथ बहु का होना जरूरी. क्योंकि बहु के साथ मत मिलकर ही सरकार बनने का सपना साकार होता है.

नारी का महत्त्व इससे ही समझ लीजिए की यह जननी भी है. भगिनी भी है और वह बेटी भी है. वह जन्म से मरण तक किसी न किसी रिश्ते में हमारे साथ बनी रहती है. धरती भी स्त्रीलिंग है,.देश की सभी नदियां भी स्त्रिलिंगी हैं.तभी तो उन्हें मां की ही तरह प्राणदायिनी, तारिणी और मोक्षदायिनी कहा गया है.मौसम भी स्त्रीलिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं. चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरखा बहार ही क्यों न हो सभी स्त्रिलिंग हैं.

सनातन संस्कृति के अनुसार स्त्री बिना हर अनुष्ठान अधूरा है.उसे प्राण प्रिया का दर्जा दिया गया है. उसे अपने पति के प्राण प्रिय होते हैं. तभी तो वह अपने पति के प्राणों की हिफाजत के लिए करवाचौथ का कठिन व्रत करती हैं. यानि वह हर दम हवा के समान आपके साथ है.अब समाजवादी नेता अखिलेश यादव को ही देख लो वह लोकसभा में अकेले नहीं गए डिम्पल भाभी समेत सपत्नीक गए. अब यह नहीं मालूम कि वह डिम्पल भाभी को अपने साथ लोकसभा में हंसी- खुशी लेकर गए या वह खुद ही साथ में चलने को मचल गईं थीं. हमने तो देश को भी मां का दर्जा दिया हुआ है. तभी तो हम रस्मी तौर पर ही सही, कभी कभार भारत माता की जय के नारे लगा देते हैं. लेकिन एक नेताजी ने सवाल दाग दिया कि भारत माता कौन है ? तब से ही सोच रहा हूँ. शायद इसी कारण से देश की एक क़ौम भारत माता की जय बोलने से परहेज करती है.